कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी (छत्तीसगढ़)

☏ 07722-238371(O), 236137(Fax), E-mail – dfo-dhamtari.cg@gov.in

क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./29/जी/2391 | धमतरी,दिनांक:-20/06/2024

प्रति,

संशोधित मांग पत्र

परियोजना निदेशक
परियोजना क्रियान्वयन इकाई धमतरी
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
ब्लाक एफ–5 शिवराज ग्रीन्स, सिहावा रोड़ धमतरी

विषयः– **Diversion of 228.0425 ha. of forest land in favour of NHAI PIU DHAMTARIfor Development of Economic Corridors, Inter- corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency, of freight movement inIndia (Lot-3/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur- Vishakhapatnam (Ch. 0.000- Ch. 124.661)in the State of Chhattisgarh underBharatmala Pariyojana. (Forest Proposal is for between km 42+844 to km 124.661)**
(पंजीयन क्रमांक – FP/CG/ROAD/119866/2021 दिनांक 16/07/2021)

संदर्भः–1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-III/IROCH-04/2022/678 दिनांक 12.04.2022, पत्र क्रमांक/FC-III/IROCH-04/2022/991 दिनांक 27.10.2022, पत्र क्रमांक/FC-III/IROCH-04/2022/1083 दिनांक 02.12.2022 एवं पत्र क्रमांक/FC-III/IROCH-04/2022/1450 दिनांक 04.07.2023

2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./जी/2526 दिनांक 09.05.2022
3. वनमंडलाधिकारी कांकेर वनमंडल का पत्र क्रमांक/मा.चि./2022/6520 दिनांक 31.05.2022 एवं वनमंडलाधिकारी केशकाल वनमंडल का पत्र क्रमांक/5967/मा.चि./भा.मा./2023–24 दिनांक 01.09.2023
4. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./जी/6213 दिनांक 06.11.2023 एवं पत्र क्रमांक/मा.चि./जी/2547 दिनांक 03.05.2024
5. वनमंडलाधिकारी कांकेर वनमंडल का पत्र क्रमांक/मा.चि./2024/1390 दिनांक 14.06.2024 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक/मा.चि./2024/4082 दिनांक 19.06.2024

⊗⊗⊗

विषयांतर्गत वन संरक्षण अधिनियम,1980 के तहत् रायपुर–विशाखापट्टन भारतमाला परियोजना में प्रभावित वनभूमि 228.0425 हे. प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर के संदर्भित पत्र 1 द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संदर्भित पत्र 1 दिनांक 12.04.2022 के अधिरोपित शर्त (iv)(a) के पालन में संबंधित वनमंडल (धमतरी/कांकेर/केशकाल) के गणना अनुसार कैम्पा मद में जमा की जाने वाली शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की कुल राशि रूपये 29,55,66,720/– जमा करने हेतु इस कार्यालय के संदर्भित पत्र 2 के माध्यम से आपको मांग पत्र जारी किया गया, जिसे आपके द्वारा दिनांक 26.05.2022 को कैम्पा मद में जमा किया गया है।

प्रकरण अंतर्गत कांकेर एवं केशकाल वनमंडल में ESZ क्षेत्र प्रभावित होने के कारण वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश के अनुक्रम में वनमंडलाधिकारी कांकेर एवं केशकाल वनमंडल द्वारा क्रमशः संदर्भित पत्र 3 के माध्यम से प्रकरण में प्रभावित ESZ क्षेत्र/सामान्य क्षेत्र हेतु पृथक–पृथक शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की गणना कर संशोधित गणना पत्रक मुख्य वन संरक्षक कांकेर के अनुमोदन उपरांत इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार इस कार्यालय के संदर्भित 4 दिनांक 06.11.2023 के द्वारा कैम्पा मद में जमा की जाने वाली शुद्ध प्रत्याशा मूल्य के अंतर की राशि रूपये 13,90,76,776/– (तेरह करोड़ नब्बे लाख छिहत्तर हजार सात सौ छिहत्तर रूपये मात्र) का गणना कर जमा किये जाने हेतु मांग पत्र प्रेषित किया गया था तथा संदर्भित पत्र 4 दिनांक 03.05.2024 द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य के अंतर की कुल राशि रूपये 27,20,14,877/– (सत्ताईस करोड़ बीस लाख चौदह हजार आठ सौ सतहत्तर रूपये मात्र) जमा करने हेतु संशोधित मांग पत्र जारी किया गया है।

वनमंडलाधिकारी कांकेर वनमंडल कांकेर द्वारा संदर्भित पत्र 5 के माध्यम से प्रकरण में प्रभावित ESZ क्षेत्र/सामान्य क्षेत्र हेतु पृथक–पृथक शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की पुनरीक्षित गणना कर मुख्य वन संरक्षक कांकेर के

Scanned with CamScanner

अनुमोदन उपरांत आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतः संदर्भित पत्र 3 एवं 5 के माध्यम से प्राप्त पुनरीक्षित शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की गणना पत्रक के अनुसार प्रकरण अंतर्गत जमा की जाने वाली शुद्ध प्रत्याशा मूल्य के अंतर की राशि निम्नानुसार है:–

शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की अंतर की राशि की गणना (शर्त क्रमांक iv(a))

क्र.	वनमंडल	प्रभावित वनक्षेत्र का रकबा हे. में	पूर्व में एकजाई रूप से प्रेषित NPV गणना की राशि रूपये में	वर्तमान में पृथक–पृथक प्रेषित NPV गणना की राशि रूपये में	पूर्व में आवेदक द्वारा जमा NPV की राशि रूपये में	NPV की शेष अंतर की राशि रूपये में (5–6)
1	2	3	4	5	6	7
1	धमतरी	147.6694	18,67,47,817/–	18,67,47,817/–	18,67,47,817/–	0/–
2	कांकेर	39.0869	5,29,44,553/–	5,29,44,553/–	5,29,44,553/–	0/–
3	केशकाल	41.2862	5,58,74,350/–	5,89,95,597/–	5,58,74,350/–	31,21,247/–
कुल		**228.0425**	**29,55,66,720/–**	**29,86,87,967/–**	**29,55,66,720/–**	**31,21,247/–**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ) छ.ग. के पत्र कमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–25/1103 दिनांक 01.05.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना हेतु निर्धारित दर राशि रूपये 11,69,680/– प्रति हेक्टेयर के मान से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर की राशि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर की राशि की गणना (शर्त क्रमांक iii)

क्र	विवरण	वर्तमान में जमा की जाने वाली राशि रूपये में	पूर्व में जमा की गई राशि रूपये में	जमा की जाने वाली अंतर की राशि रूपये में
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (शर्त क्रमांक iii)	457 हे. X 11,69,680/– = **53,45,43,760/–** (वर्ष 2024–25 में सिंचित वृक्षारोपण हेतु निर्धारित दर के अनुसार रू. 11,69,680/– प्रति हे. की दर से)	**40,16,05,659/–** (वर्ष 2022–23 के दर अनुसार रू. 8,78,787/– प्रति हे. से)	**13,29,38,101/–**

उपरोक्तानुसार वर्तमान दर पर प्रकरण अंतर्गत जमा की जाने वाली शुद्ध प्रत्याशा मूल्य के अंतर की राशि रूपये 31,21,247/– तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर की राशि रूपये 13,29,38,101/– इस प्रकार कुल **अंतर की राशि रूपये 13,60,59,348/– (तेरह करोड़ साठ लाख उनसठ हजार तीन सौ अड़तालिस रूपये मात्र)** परिवेश पोर्टल की सहायता से ई–चालान के माध्यम से कैम्पा मद में जमा कर, जमा रसीद की पावती तथा इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./व.स.अ./29/जी/6274 दिनांक 08.11.2023 द्वारा दिये गये कार्यालयीन टीप अनुसार प्रथम चरण स्वीकृति का पुनरीक्षित पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त पालन प्रतिवेदन को परिवेश पोर्टल में भी अपलोड करें। वरिष्ठ कार्यालय या शासन द्वारा उक्त राशि में भविष्य में किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो आपको पृथक से मांग पत्र पुनः प्रेषित किया जावेगा।

संलग्न :– संदर्भित पत्र 5 की छायाप्रति।

वनमंण्डलाधिकारी
धमतरी वनमंडल, धमतरी

पृ.क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./29/जी/ 3398 **धमतरी,दिनांक:** 20/06/2024

प्रतिलिपि :– 01. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक** (भू–प्रबंध/व.सं.अ) छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित ।

02. **मुख्य वन संरक्षक,** रायपुर/कांकेर वृत्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

03. **वनमंडलाधिकारी,** कांकेर/केशकाल वनमंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

04. **कलेक्टर** जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल धमतरी

Scanned with CamScanner

कार्यालय वन मंडलाधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर

Phone - 07868-222006 (O), 222173 (Fax), 222171 (Fax), E-mail dfokmk@rediffmail.com

क्रमांक/मा.चि./2024/.....1390 कांकेर,दिनांक ...../06/2024

प्रति

नोडल अधिकारी एवं वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल धमतरी

विषय :— Diversion Of 228.0425 Ha. Of Forest Land In Favour Of NHAI PIU Dhamtari For Development Of Economic Corridors,Inter-Corridors,feeder Routes And Coastal Road To Improve The Efficiency Of Freight Movement In India (Lot-3/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur-Viskhapatnam (Ch.0.000-Ch.124.661) In The State Of Chhattisgarh Under Bhartmala Pariyojana (Forest Proposal Is For Between Km 42+844 To Km 124.661 Ha.)

संदर्भ :— मुख्य वन संरक्षक,कांकेर वृत्त कांकेर का कार्यालयीन पत्र क्रमांक/त.अ./2024/4037/कांकेर,दिनांक 12.06.2024

— — 00 — —

विषयांतर्गत प्रकरण के संबंध में लेख है,कि भारत माला परियोजना अंतर्गत प्रभावित प्रस्तावित रकबा का ESZ क्षेत्र का प्रत्याशा मूल्य की राशि 5 गुना मुल्यांकन कर आपको जानकारी प्रेषित की गई थी।

संदर्भित पत्र क्रमांक–1 के माध्यम से मार्गदर्शन अनुसार ESZ(बफर जोन) क्षेत्र में साधारण प्रकरण में ली जाने वाली प्रत्याशा मूल्य की राशि लिए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

अतःप्रकरण में साधारण प्रत्याशा मूल्य की राशि का गणना कर पुनःगणना पत्रक अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न :— गणना पत्रक की अनुमोदन प्रति।

वनमंडलाधिकारी
कांकेर वनमंडल कांकेर

पृ. क्रमांक/मा.चि./2024/.....1391 कांकेर,दिनांक ...../06/2023

प्रतिलिपि :—

01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
02. मुख्य वन संरक्षक,कांकेर वृत्त कांकेर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
03. परियोजना निर्देशक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,परियोजना क्रियान्वयन ईकाई धमतरी (छ.ग.) को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ अग्रेपित।

वनमंडलाधिकारी
कांकेर वनमंडल कांकेर

Scanned with CamScanner

वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत प्रत्याशा मूल्य (NPV) की राशि का गणना पत्रक

पंजीयन क्रमांक–FP/CG/ROAD/119866/2021

कुल आवेदित भूमि :– 23.6581

वनभूमि का विवरण :–

RF-153,127,128 में रकबा 21.__,53 हें
OA-427 में रकबा 2.1028 हें
कुल रकबा : 23.6581 हें

को – आर्डिनेट्स :–

81'44'59.8735" E	20'23'08.1270" N
81'45'00.3061" E	20'23'07.6516" N
81'45'00.2871" E	20'23'07.4803" N
81'44'59.9304" E	20'23'07.3354" N

वन वृत्त :– कांकेर

वनमंडल का नाम :– कांकेर

आवेदक संस्थान :– परियोजना निर्देशक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,परियोजना क्रियान्वयन ईकाई धमतरी छ.ग.

वर्ष 2024 – 2025

भूमि का प्रकार	वनों का प्रकार (चैम्पियन एवं सेठ वर्गीकरण के अनुसार)	कुल क्षेत्र (हे.)	नियत ईको क्लास (Eco Class) विभिन्न घनत्व श्रेणी अंतर्गत क्षेत्रफल									कुल क्षेत्र ईको क्लास (Eco Class) (हे.) (4+7+10)	कुल प्रत्याशा वसूली (रू.) (6+9+12)
			बहुत सघन वन (हे.)	प्रत्याशा मूल्य की दर (रू.)	प्रत्याशा मूल्य(रू.)	सघन वन (हे.)	प्रत्याशा मूल्य की दर (रू.)	प्रत्याशा मूल्य (रू.)	खुला वन (हे.)	प्रत्याशा मूल्य की दर (रू.)	प्रत्याशा मूल्य (रू.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							सरोना परिक्षेत्र						
आरक्षित वन (Reserve Forest)	Tropical Dry Deciduous Forest (ECO CLASS-II) (ESZ) NPV	21.5553	–	–	–	21.5553	1436670	30967853	–	–	–	21.5553	30967853
नारंगी क्षेत्र (Undermarcated Forest Orange Area)		2.1028	–	–	–	2.1028	1436670	3021030	–	–	–	2.1028	3021030
योग :–		23.6581	–	–	–	23.6581	–	33988883	–	–	–	23.6581	33988883

तैयार किया गया (नाम) :– रापू राम शोरी
तकनिकी अधिकारी
वनमंडल कांकेर

जांच किया गया (नाम) :–
संलग्न अधिकारी/उ.व.म.अ.
उपवनमंडल कांकेर

प्रमाणित किया जाता है,कि उपर दर्शित ईको क्लास वनों का घनत्व एवं प्रत्याशा मुल्य की गणना सही है।
सत्यापित किया गया (नाम):–अलोक कुमार बाजपेयी
वनमंडलाधिकारी कांकेर वनमंडल कांके.

मेरे द्वारा पुनः जांच गया एवं ऊपर दर्शित ईको क्लास,वनों का घनत्व एवं प्रत्याशा मूल्य की गणना सही है।
पुनः सत्यापित किया गया (नाम) :–
दिव्यमन प्रभाकर
मुख्य वन संरक्षक,कांकेर

Scanned with CamScanner

पंजीयन क्रमांक—FP/CG/ROAD/119866/2021

वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत प्रत्याशा मूल्य (NPV) की राशि का गणना पत्रक

कुल आवेदित भूमि :— 15.4288

वनभूमि का विवरण :— RF-211,158,207,207,158 में रकबा 8.4065 हें.
OA-472,472,472,472,480,478,479 में रकबा 7.0223 हें.
कुल रकबा : 15.4288 हें.

फो — आर्डिनेट्स :—

81'44'59.8735" E	20'23'08.1270" N
81'45'00.3061" E	20'23'07.6516" N
81'45'00.2871" E	20'23'07.4803" N
81'44'59.9304" E	20'23'07.3354" N

वन वृत्त :— कांकेर

वनमंडल का नाम :— कांकेर

आवेदक संस्थान :— परियोजना निर्देशक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,परियोजना क्रियान्वयन ईकाई धमतरी छ.ग.

वर्ष 2024 — 2025

भूमि का प्रकार	वनो का प्रकार (चैम्पियन एवं सेठ वर्गीकरण के अनुसार)	कुल क्षेत्र (हें.)	नियत ईको क्लास (Eco Class) विभिन्न घनत्व श्रेणी अंतर्गत क्षेत्रफल									कुल क्षेत्र ईको क्लास (Eco Class) (हें.) (4+7+10)	कुल प्रत्याशा वसूली (रू.) (6+9+12)
			बहुत सघन वन	प्रत्याशा मूल्य की	प्रत्याशा मूल्य (रू.)	सघन वन	प्रत्याशा मूल्य की दर (रू.)	प्रत्याशा मूल्य (रू.)	खुला वन (रू.	प्रत्याशा मूल्य की दर (रू.)	प्रत्याशा मूल्य (रू.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							नरहरपुर परिक्षेत्र						
आरक्षित वन (Reselve Forest)	Tropical Dry Deciduous Forest (ECO CLASS-III)	8.4065	—	—	—	8.4065	1228590	10328142	—	—	—	8.4065	10328142
नारंगी क्षेत्र (Undermarcated Forest Orange Area)		7.0223	—	—	—	7.0223	1228590	8627528	—	—	—	7.0223	8627528
योग :—		15.4288	—	—	—	15.4288	—	18955670	—	—	—	15.4288	18955670

तैयार किया गया (नाम) :— राधू राम शोरी
तकनिकी अधिकारी
वनमंडल कांकेर

जांच किया गया (नाम) :—
संलग्न अधिकारी/उ.व.म.अ.
उपवनमंडल कांकेर

प्रमाणित किया जाता है,कि उपर दर्शित ईको क्लास वनों का घनत्व एवं प्रत्याशा मूल्य की गणना सही है।
सत्यापित किया गया (नाम):—अलोक कुमार बाजपेयी
वनमंडलाधिकारी कांकेर वनमंडल कांकेर

मेरे द्वारा पुनः जांच गया एवं ऊपर दर्शित ईको क्लास,वनों का घनत्व एवं प्रत्याशा मूल्य की गणना सही है।
पुनः सत्यापित किया गया (नाम) :— दिलराज प्रभाकर
मुख्य वन संरक्षक,कांकेर

File\Regular Letter 2021-2022

Scanned with CamScanner